आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 353/इंदौर/2023
निर्धारण वर्ष : 2012-13

श्री लोकेश दत्ता, 5, गिरधर नगर, शर्मा इनक्लेव, इंदौर-452001 (म.प्र)	बनाम	आयकर अधिकारी 2 (5), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीएक्सपीडी5178जे PAN : ABXPD5178J		

अपीलार्थी की ओर से	श्री आशीष गोयल तथा श्री एन.डी.पटवा, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	30.01.2024
उद्घोषणा तिथि	30.01.2024

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, दिल्ली के आदेश दिनांक 25.05.2023 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर अधिकारी-2(5), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144/147 के अधीन विरचित आदेश दिनांक 19.11.2019 से उद्भूत है ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्वान आयकर

आयुक्त (अपील) द्वारा एक निर्धारिती के विरूद्ध एक पक्षीय (Ex parte) आदेश पारित किये गये हैं । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि निर्धारिती को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाए तथा इस अपील को नये सिरे से न्यायनिर्णयण हेतु विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाए । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि इस अपील को विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले को निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में वापिस भेजना उचित समझते हैं । हम, तदनुसार आदेश करते हैं । निर्धारिती को भी विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाईयों में भाग लेना सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगने का निदेश दिया जाता है ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है।

यह आदेश 30.01.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(विजय पाल राव)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 30.01.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल